



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042024-253922  
CG-DL-E-29042024-253922

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1760]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2024/ वैशाख 9, 1946

No. 1760]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2024/VAISAKHA 9, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2024

का.आ. 1852(अ).—सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी, यथास्थिति, बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट की गई उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं :

राज्य (1)	संसदीय क्षेत्र (2)
बिहार	1-वाल्मीकिनगर
	2-पश्चिम चम्पारण
	3-पूर्वी चम्पारण

	4-शिवहर
	16-वैशाली
	17-गोपालगंज (अ.जा.)
	18-सिवान
	19-महराजगंज
हरियाणा	1-अंबाला (अ.जा.)
	2-कुरुक्षेत्र
	3-सिरसा (अ.जा.)
	4-हिसार
	5-करनाल
	6-सोनीपत
	7-रोहतक
	8-भिवानी-महेन्द्रगढ़
	9-गुडगांव
	10-फरीदाबाद
झारखंड	6-गिरिडीह
	7-धनबाद
	8-राँची
	9-जमशेदपुर
ओडिशा	3-सम्बलपुर
	4-क्योन्झर (अ.ज.जा.)
	9-धेन्कानल
	14-कटक
	17-पुरी
	18-भुवनेश्वर
उत्तर प्रदेश	38-सुल्तानपुर
	39-प्रतापगढ़
	51-फूलपुर
	52-इलाहाबाद
	55-अम्बेडकरनगर
	58-श्रावस्ती
	60-डुमरियागंज
	61-बस्ती
	62-संत कबीर नगर
	68-लालगंज (अ.जा.)
	69-आज़मगढ़
	73-जौनपुर
	74-मछलीशहर (अ.जा.)
	78-भदोही
पश्चिमी बंगाल	30-तामलुक
	31-कांथी
	32-घाटल
	33-झाडग्राम (अ.ज.जा.)
	34-मेदीनिपुर
	35-पुरूलिया

	36-बंकुरा
	37-विशुपुर (अ.जा.)
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	1-चांदनी चौक
	2- उत्तर-पूर्व दिल्ली
	3- पूर्व दिल्ली
	4- नई दिल्ली
	5- उत्तर-पश्चिम दिल्ली (अ.जा.)
	6- पश्चिम दिल्ली
	7- दक्षिण दिल्ली

[फा.सं. एच-11024(4)/2023-वि.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2024

**S.O. 1852(E).**—Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Seventeenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary Constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territory, as the case may be, of Bihar, Haryana, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal and NCT of Delhi as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

STATE (1)	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2)
BIHAR	1-Valmiki Nagar
	2-Paschim Champaran
	3-Purvi Champaran
	4-Sheohar
	16-Vaishali
	17-Gopalganj (SC)
	18-Siwan
	19-Maharajganj
	HARYANA
2-Kurukshetra	
3-Sirsa (SC)	
4-Hisar	
5-Karnal	
6-Sonapat	
7-Rohtak	
8-Bhiwani-Mahendragarh	
9-Gurgaon	
10-Faridabad	
JHARKHAND	6-Giridih
	7-Dhanbad

	8-Ranchi
	9-Jamshedpur
ODISHA	3-Sambalpur
	4-Keonjhar (ST)
	9-Dhenkanal
	14-Cuttack
	17-Puri
	18-Bhubaneswar
UTTAR PRADESH	38-Sultanpur
	39-Pratapgarh
	51-Phulpur
	52-Allahabad
	55-Ambedkar Nagar
	58-Shrawasti
	60-Domariyaganj
	61-Basti
	62-Sant Kabir Nagar
	68-Lalganj (SC)
	69-Azamgarh
	73-Jaunpur
	74-Machhlishahr (SC)
	78-Bhadohi
WEST BENGAL	30-Tamluk
	31-Kanthi
	32-Ghatal
	33-Jhargram (ST)
	34-Medinipur
	35-Purulia
	36-Bankura
	37-Bishnupur (SC)
NCT OF DELHI	1-Chandni Chowk
	2-North East Delhi
	3-East Delhi
	4-New Delhi
	5-North West Delhi (SC)
	6-West Delhi
	7-South Delhi

[F. No. H-11024(4)/2023-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel